www.shodhpith.com ISSN (Online): 3049-3331

Shodhpith
International Multidisciplinary
Research Journal
(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)
(Multidisciplinary, Bimonthly, Multilanguage)
Volume: 1 Issue: 4 July-August 2025

उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूपः महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ में

प्रमोद सिंह

शोधार्थी, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, सी.सी.एस.पी.जी. कॉलेज, हेंवरा, इटावा (उ0प्र0)

प्रो0 उदयवीर सिंह

शोध निर्देशक, समाजशास्त्र विभाग, कर्मक्षेत्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इटावा (उ0प्र0)

सारांश

मध्ययुगीन युग में, महिलाओं को समाज के हाशिए पर पड़े समूहों में से एक माना जाता था। घर पर और पूरे समाज में, उनकी स्थिति अनिश्चित थी और उन्हें बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा जाता था। वे आमतौर पर अपनी सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी को लेकर विवाद करती थीं। महिलाओं की स्थिति में हाल ही में कई सुधारकों, पुरुषों और महिलाओं, द्वारा सुधार किया गया है। समकालीन भारत में भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, संसद और विधानसभा सदस्य, अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर, सभी महिलाएँ थीं। 73वें संविधान संशोधन में कमजोर लिंग, विशेषकर महिलाओं के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान स्वतंत्रता के परिणामस्वरूप बनाए गए थे। यह सच है कि पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण देने से महिला सशक्तिकरण के लिए व्यापक नए रास्ते खुले हैं, खासकर जब पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं की प्रभावी भागीदारी की बात आती है। इस तथ्य के बावजूद कि महिलाओं को कई आधुनिक दुविधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अंतर्निहित पितृसत्तात्मक संरचनाएँ और दृष्टिकोण, एक कठोर जाति व्यवस्था जो फैलती जा रही है और भेदभाव के व्यापक रूप, निरक्षरता की उच्च दर और महिलाओं की पुरुषों पर निर्भरता, इसके अलावा, महिलाओं के रबर स्टैंप के रूप में शोषण के कई उदाहरण हैं। उनके पुरुष साथी और उनका परिवार वास्तविक निर्णय ले रहे हैं। पुरुषों के पास वास्तविक प्रमुख अधिकार बना हुआ है। कई जाँचों से पता चला है कि कई राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया है। इस वजह से, हमारी संस्कृति में पुरुषों को महिलाओं को समाज के कमजोर और अधिक असुरक्षित सदस्य मानने की अपनी धारणा बदलने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में इस समय पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी के सामने आने वाली मौजूदा समस्याओं और कठिनाइयों की जाँच करने का प्रयास किया गया है। सशक्तिकरण का अर्थ है कानूनी या आधिकारिक तरीकों से शक्ति देना या अधिकृत करना। लोगों के सशक्तिकरण का अर्थ है कि उन्हें अपने जीवन पर नियंत्रण रखने के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए। सशक्तिकरण व्यक्तियों पर होने वाले उत्पीड़न, शोषण और अन्याय का एक प्रभावी प्रत्युत्तर है। संक्षेप में, महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं के लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जहाँ वे अपने व्यक्तिगत विकास के साथ–साथ समाज के विकास के लिए स्वयं निर्णय ले सकें। यह महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक,

सांस्कृतिक, राजनीतिक और कानूनी शक्ति को बढ़ाने और सुधारने की प्रक्रिया है।

प्रस्तावना

दुनिया भर में लोगों के बीच असमानता व्याप्त है। 21वीं सदी में भी अभिविन्यास असमानता जारी है, जो एक भयावह सच्चाई है। यूएनडीपी की 1997 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा कोई देश नहीं है जो अपनी महिलाओं और पुरुषों के साथ समान व्यवहार करता हो। यह रिपोर्ट भविष्य, समृद्धि और शिक्षा को शामिल करने वाले एक जटिल मापदंड का उपयोग करती है (यूएनडीपी, 1997, पृष्ठ 39)। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की 1999 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, महिलाएं दुनिया का 67 प्रतिशत काम करती हैं, कुल आय का 10 प्रतिशत कमाती हैं, और दुनिया भर की संपत्ति का केवल 1 प्रतिशत ही उनके पास है। गरीबी में रहने वाली महिलाओं की संख्या में हाल ही में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। महिलाओं को कई तरह के काम करने पड़ते हैं, जिनमें काम के माध्यम से वित्तीय दायित्व, संपत्ति प्रबंधन और घरेलू जिम्मेदारियाँ, साथ ही बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल शामिल है। भोजन, चिकित्सा देखभाल और स्कूली शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के संबंध में उनके पास कम मैत्रीपूर्ण और वित्तीय स्वतंत्रता है (यूएनडीपी, 1999, पृष्ठ 78)। अमर्त्य सेन कहते हैं, विभेदक पारिश्रमिक या किस्त दरें कई विकासों में अभिविन्यास असमानता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। विभेदक लाभों के विभिन्न क्षेत्र मौजूद हैं, जैसे परिवार के भीतर कार्य विभाजन, प्राप्त शिक्षा का स्तर और विभिन्न रिश्तेदारों को मिलने वाले सम्मान (सेन ए., 1995, पृष्ठ 122)। स्वतंत्रता के साठ वर्षों के बाद भी, भारत में महिलाओं की शिक्षा दर पुरुषों के 82.14 प्रतिशत की तुलना में 65.5 प्रतिशत कम थी, लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाओं का कम था, पुरुषों के 53.3 प्रतिशत की तुलना में रोजगार मांग दर 25.5 प्रतिशत थी, और महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा के संकेत थे (भारत की जनगणना 2011)।

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा

पुरुष–महिला संबंधों में असमानता एक वैश्विक विशिष्टता है, लेकिन इसका स्तर मानव विकास के अनुसार भिन्न होता है। विभिन्न देशों में लोगों का अलग–अलग मूल्यांकन किया जाता है, और ये अंतर सांस्कृतिक विचारों, मानसिकताओं और मूल्यों को प्रभावित करते हैं। इसलिए, महिलाओं को एक प्राकृतिक समूह के बजाय एक समूह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है (सैसेन, 2002, पृष्ठ 376)। इसलिए, सामाजिक कार्य विभाजन में, महिलाओं के कर्तव्यों, विशेषाधिकारों और प्रतिबद्धताओं को पुरुषों के साथ–साथ समझा जाना चाहिए। इसके अलावा, ये लिंग.–आधारित कर्तव्य, सम्मान और दायित्व स्पष्ट हैं, लेकिन साथ ही असंगत भी हैं। मानव कार्य के लगभग हर क्षेत्र में महिलाओं के कार्य पुरुषों के कर्तव्यों के मुकाबले दबे हुए हैं, महिलाओं के अधिकार पुरुषों की तुलना में कम और कम स्वतंत्र हैं, और महिलाओं की प्रतिबद्धताएँ पुरुषों की तुलना में अधिक सीमित हैं। पुरुषों का महिलाओं पर सामाजिक और अक्सर कानूनी रूप से स्वीकृत अधिकार होता है, जिसका अर्थ है कि पुरुषों के पास न केवल जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की तुलना में अधिक शक्ति होती है और वे उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इस वर्तमान परिस्थिति में महिलाओं के सशक्तिकरण का विचार नया महत्व रखता है।

विशेष रूप से महिलाओं के संबंध में, कम आंका गया समूहों का सशक्तिकरण एक मुहावरा बन गया है। सर. कारी अधिकारी और सिविल सेवक इसका प्रयोग करते हैं। अपने भाषणों में, विद्वान पुस्तकों, पत्रिकाओं और बौद्धिक लेखों में इसके बारे में बात करते हैं, और लेखक लेखों और विश्लेषणों में इसका खुलकर उपयोग करते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलनों में, विशेष रूप से 1995 में बीजिंग (चीन), 1994 में काहिरा (जॉर्जिया) और 1985 में नैरोबी (नाइजीरिया) में, एक आम अभिव्यक्ति थी, जिसमें भाग लेने वाले देशों से सभी चुनावों में 35 प्रतिशत सीटें प्राप्त करके महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने का अनुरोध किया गया था। इस अवधारणा को इसके व्यापक और प्रसिद्ध अनुप्रयोग के कारण परिभाषित करना चुनौतीपूर्ण रहा है। इसलिए, एक अवलोकनात्मक समीक्षा का नेतृत्व करने के लिए इसे परिभाषित करने का कार्य किया जाना चाहिए।

शक्ति को परिभाषित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 'मजबूत बनाने' की अवधारणा का आधार है। मैक्स वेबर, जिन्होंने शक्ति के अध्ययन पर सबसे अधिक प्रभाव डाला, ने प्रत्येक महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र में इसके व्यापक महत्व पर सहमति व्यक्त की, और इसे समझने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। वेबर लिखते हैं, 'आमतौर पर,

'शक्ति' से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की किसी सामाजिक आंदोलन में अपनी इच्छाशक्ति को समझने की क्षमता से है, भले ही उस गतिविधि में भाग लेने वाले लोगों का विरोध हो, (वेबर, 1978, पृष्ठ 926)। शक्ति, जो कुछ व्यक्तियों के पास दूसरों पर होती है शक्ति के प्रबंधन के स्वतंत्र तरीके से जुड़ा है। चूँकि शक्ति एक सीमित संसाधन है, इसलिए कुछ व्यक्तियों के पास यह दूसरों के प्रतिबंध के अधीन होती है, किसी व्यक्ति के पास जितनी अधिक शक्ति होती है, दूसरों के पास उतनी ही कम शक्ति होती है। कुछ लोग मानते हैं कि वेबर के बजाय, फूको शक्ति की अवधारणाओं का उपयोग एक अलग परिवेश में करते हैं, जबकि वेबर के सिद्धांतों को एक सटीक विश्लेषण में क्रियान्वित और लागू किया जा सकता है, फूको के दृष्टिकोण दार्शनिक हैं और यहाँ लागू करना कठिन है (फूको, 1980)। पार्सन्स (1963) ने इसका एक अर्थ प्रस्तावित किया। बल, जिसे सत्ता से निपटने का परिवर्तनशील–कुल तरीका कहा जाता है, जिसमें सत्ता को स्थानीय क्षेत्र की एक ऐसी संपत्ति के रूप में देखा जाता है जिसका उपयोग उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। आम जनता प्रभावी कार्रवाई के परिणामस्वरूप सत्ता हासिल करती है या खोती है।

साहित्य समीक्षा

मोदी, अनीता (2009) ने अपने अध्ययन पंचायतीराज एवं महिला सशक्तिकरण' में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण को स्पष्ट किया। साथ ही पंचायतीराज व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण एवं सहभागिता के सामने आने वाली समस्याओं को दूर कर राजनीति में महिलाओं की सहभागिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है यह बताने का प्रयास किया। इन्होंने ग्रामीण विकास से सम्बन्धित समस्याओं को बताते हुये, उन्हें दूर करने का सुझाव भी अपने विश्लेषण में प्रस्तुत किया।

खान, इकबाल (2009) ने अपने अध्ययन 'पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास योजनाएं में भारत में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन एवं महिला विकास के संदर्भ में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के तहत पंचायती राज के महत्व को स्पष्ट किया और बताया की पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा सहयोग, उत्तरदायित्व, आत्म निर्भरता आदि का विकास संभव है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान का उद्देश्य भी यही है। इन्होंने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया कि एक लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है शासन की जड़े आम जनता से प्रारम्भ हो जिससे उन्ह अपनी आवश्यकता एव मांगो की अभिव्यक्ति करने का समुचित अवसर प्राप्त हो। पंचायतों को केवल राजनीति ही नहीं वरन सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप में ग्रामीण जन को अपने साथ जोड़ना आवश्यक हैं।

गुप्ता, राकेश कुमार (2010) ने अपने अध्ययन 'महिलाओं का राजनैतिक सशक्तिकरण में यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि हमारे समाज में स्त्रियों के कमजोर होने में एक प्रमुख कारण स्वयं स्त्रियों की मानसिकता, सामाजिक संरचना और परम्परायें है। समाज में स्त्रियों के अन्दर प्रत्येक स्तर पर पुरुषों पर निर्भरता पायी जाती है। इसी कारण कोई पद प्राप्त होने के पश्चात भी उस पद का उपयोग करने के लिए भी वह पुरुषों पर निर्भर रहती हैं। वास्तव में महिलाओं के लिए समानता का स्तर सत्ता के हस्तानान्तरण से ही प्राप्त हो सकता है परन्तु यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है कि सत्ता का सही उपयोग हो। यह कहना गलत नहीं होगा कि महिला के सरपंच बनते ही न्याय और सुधार की सर्वाधिक आशा स्त्रियों के मन में ही पैदा होती है। ऐसे में यदि महिला सरपंच अपेक्षाओं और जिम्मेदारियों को उठाने में असफल होतो है तो जनता का मोह भंग होता है।

अध्ययन पद्धतिः यह अध्ययन वर्णनात्मक डिजाइन पर आधारित है। उत्तर प्रदेश के पंचायतीराज व्यवस्था का स्वरूपः महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है जिसमें द्वितीयक स्रोतों जैसे पत्र–पत्रिकाओं, सरकारी रिपोर्टों, समाचार पत्रों का उपयोग किया गया है।

उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास के चरण

प्रथम चरण 1947 (1952–53) 7 दिसंबर 1947 को संयुक्त प्रांत पंचायतराज अधिनियम गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित हुआ और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 1949 से पंचायतों की स्थापना हुई संविधान में भी पंचायतों की व्याख्या की गई जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में निर्देश किए गए हैं और यह कहा गया कि राज्य पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएं और ग्रामीण स्तर पर जितने भी कार्य व अधिकार

हैं पंचायतों को देने का प्रयास किया जाए 11 तक 15 अगस्त 1949 को 35000 पंचायतों में कार्य करना प्रारंभ कर दिया जो कि 5 करोड़ 40 लाख ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करती थी इसके अलावा लगभग 8000 पंचायत अदालतें भी स्थापित की गई।

1951—52 आते—आते पंचायतों की संख्या 35300 से 35243 तथा पंचायत अदालतों की संख्या 8492 हो गई 1952 में ही पहली पंचवर्षीय योजना आई जिसकी सफलता के लिए शासन द्वारा पंचायत अदालत के स्तर पर विकास समितियों के सदस्य को मनोनीत किए गए और पंचायतों ने 1952 में ग्रामीण जीवन में सुनियोजित स्तर पर राष्ट्र के निर्माण में अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया 1952—53 में ही जमीदारी प्रथा का विनाश कर के ग्राम माध्यम की ग्राम समाज की स्थापना की गई और ग्राम सभाओं के अधिकार बढ़ा दिए गए।

दूसरा चरण (1953—54 से 1959— 60 तक) 1953 में एक समिति नियुक्त की गई जो कि विधानसभा के सदस्यों से मिलकर बनी जिसका नाम था पंचायत की सक्रियता, जिसका काम था पंचायत की सक्रियता को बनाए रखना तथा विकास संबंधी कार्यों में सहयोग बढ़ाना पंचायत के दूसरे आम चुनाव में पंचायत राज्य संशोधन विधेयक तैयार किया था जिसका सुझाव इसी समिति के दृष्टि से मिला जब 1955 में पंचायतों के दूसरे आम चुनाव संपन्न हुए तो ग्राम सभा और ग्राम समाज के क्षेत्राधिकार को एक कर दिया गया साथ ही 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले गांव में ग्राम सभा गठित करके पंचायतों की संख्या 72425 कर दी गई पंचायत अदालतों का नाम परिवर्तित करके न्याय पंचायत से पंचायत कर दिया गया जिनकी संख्या 8585 थी इसके अलावा खाद्यान्न की उपज को बढ़ाने के लिए अधिकांश ग्राम सभाओं में कृषि समितियां गठित की गई।

तीसरा चरण (1960—72) वर्ष 1960—61 में पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन किया गया तथा ग्राम पंचायत और न्याय पंचायतों के चुनाव में परिवर्तन किया गया और इस परिवर्तन के अनुसार प्रधान का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किया जाना तय हुआ गांव को आत्मनिर्भर और संपन्न बनाने के लिए कृषि उत्पादन तथा कल्याण उपसमितियों का गठन ग्रामसभा स्तर पर किया गया बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के निर्देशानुसार सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 इसलिए क्रियान्वित किया गया और इस अधिनियम के अनुसार प्रदेश में ग्राम सभा गांव सभा क्षेत्र समिति और जिला परिषद की इकाइयों को एक सूत्र में बांधा गया और प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था प्रारंभ हुई।

चौथा चरण (1972—73 से 1981—82) 1972—73 में पंचायतों के चौथे आम चुनाव संपन्न हुए और उस समय पंचायतों की संख्या प्रदेश में 72834 और न्याय पंचायतों की संख्या 8792 थी जो कि 1981 के अंत तक प्रदेश में 72849 ग्राम पंचायतें तथा 8791 न्याय पंचायत में कार्यरत रहे तथा पंचायतों का पांचवा सामान्य निर्वाचन 1972—73 के उपरांत मार्च 1982 से जुलाई 1982 के मध्य संपन्न हुआ और इस सामान्य निर्वाचन में ग्राम सभाओं की संख्या 74000 थी तथा इसी चुनाव में अनेक मतदान मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

पांचवा चरण 1983—84 से 1992—93 इसी चरण के दौरान सन 1988 में पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन किया गया और यह व्याख्या की गई कि ग्राम पंचायतों के सदस्य पदों पर 30ः प्रतिनिधित्व महिलाओं को प्राप्त होना चाहिए 1988 में ही ग्राम पंचायतों का छठा सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ और इस समय पंचायतों की संख्या 73927 और न्याय पंचायतों की संख्या 8814 थी जिसमें महिला प्रधान की संख्या 930 तथा महिला सदस्यों की संख्या 1 लाख 50 हजार 577 थी और सन 1989 में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई जिसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए रोजगार सृजन कराना और इस योजना के कार्य का भार पंचायतों को सौंपा गया।

छठवां चरण 1993—94 हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में पंचायतों को आधारभूत स्तर पर मान्यता प्रदान की गई है और यह कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने का प्रयास करें और पंचायतों को ऐसी शक्तियां व अधिकार प्रदान करें जो एक स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए जरूरी है जिसके बाद 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया जो कि पूरे देश में 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया, जिसके बाद 73वें संविधान संशोधन में प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश विधि अधिनियम संख्या 9 विधेयक 1994 पारित किया गया जो कि 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में लागू हुआ और इस अधिनियम के अनुसार संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति

तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया और राज्य में तीनों स्तरों की पंचायतों में एकरूपता लाते हुए कुछ व्यवस्थाएं लाई गई।

भारत एक ऐसा देश है जिसकी अधिकांश जनता गांव में निवास करती है अर्थात भारत एक ग्राम प्रधान देश है और जिस प्रकार देश को चलाने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को चलाने के लिए राज्य सरकारें बनाई गई है इसी प्रकार गांव को चलाने के लिए ग्राम की समस्याओं को समझाने के लिए गांव की गतिविधियों की देखरेख करने के लिए ग्राम पंचायतों का विकास किया और इसका एक मुखिया बनाया गया जिसे ग्राम प्रधान नाम दिया गया और इस मुखिया का चुनाव भी वयस्क मताधिकार के आधार पर गांव की वयस्क जनता द्वारा जिसका मतदाता सूची में नाम हो के द्वारा वोट देकर किया जाता है।

73वाँ संवैधानिक संशोधन एवं पंचायतीराज संगठन संबंधी प्रावधान:

पी०वी० नरसिंह राव सरकार ने राजीव गांधी सरकार द्वारा तैयार पंचायतीराज संस्थाओं से संबंधित (64वें) विधेयक को 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में दिसम्बर 1992 में संसद से पारित किया गया। 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम में संविधान में एक नया अध्याय 9 जोड़ा है जिसका शीर्षक 'पंचायते' है यह अध्याय पंचायतों से संबंधित है तथा इसमें अनुच्छेद 243 और 243(क) से 243(ण) तक के अनुच्छेद शामिल यह अधिनियम 25 अप्रैल 1993 में प्रवृत्त हुआ है। एक नयी सूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गयी है जिसमें 29 विषय है 73वाँ संविधान संशोधन से ग्रामीण परिवेश में एक नयी सामाजिक क्रांति का उद्भव हुआ तथा समाज के कमजोर व पिछड़े वर्गों को भी राजनीतिक सहभागिता का अवसर प्राप्त हुआ जिससे गतिशील ग्रामीण विकास सुनिश्चित हो रहा है।

परिभाषाः 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित परिभाषा वर्णित है।

क. 'जिला' से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है।

ख. ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है।

ग. मध्यवर्ती स्तर में ग्राम और जिला स्तरों के बीच का ऐसा स्तर अभिप्रेत है जो किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा मध्यवर्ती स्तर विनिर्दिष्ट किया जाए।

घ. पंचायत क्षेत्रों से पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है।

ङ. पंचायत से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था अभिप्रेत है।

पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व:

73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य विधानमण्डल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो वह उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाए निम्नलिखित के संबंध में शक्तियों और उत्तरदा. यित्व न्यागत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे।

क. आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करना।

ख. आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों को जो उन्हें सौंपी जाए जिसके अंतर्गत वे स्कीमें भी जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है क्रियान्वित करना।

उत्तर प्रदेश में नई पंचायतीराज व्यवस्था का स्वरूप:

नई पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत पंचायत के संस्थाओं को पूर्ण रूप से प्रजातान्त्रिक एवं जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। अभी तक पूरे देश की पंचायतों में एकता नहीं होने के कारण बहुत सी प्रशासनिक एवं व्यवहारिक कठिनाईयों थी। जिनको समाप्त करने के लिए 1991 में राजीव गांधी की पहल पर संविधान संशोधन कर पूरे देश में पंचायतों में एकरूपता लाकर उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान के अनु0 243 (घ)

के द्वारा पंचायतों को गांवों के विकास का बड़ा उत्तरदायित्व सौंपा गया था। इस दायित्व को सफल होने के लिए ग्रामीण जन का शिक्षित होना आवश्यक है, ताकि वे पंचायत के गठन उनके संचालन और गांव में लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं को अच्छी तरह से समझ सकें।

जिला पंचायत की स्थापनाः उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 के पूर्व में कार्यरत जिला परिषद् के नाम को बदलकर जिला पंचायत क्षेत्र समिति के नाम को बदलकर क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम स्तर के नाम को बदलकर ग्राम पंचायत कर दिया गया।

जिला पंचायत का गठनः उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1994 की धारा 17 के अनुसार प्रत्येक जिले में एक जिला पंचायत का गठन किया गया है जिसका गठन निम्न है– 1. निर्वाचित सदस्य, 2. क्षेत्र पंचायत गठन।

जिला पंचायत का अध्यक्षः प्रत्येक जिले में एक अध्यक्ष तथा जिसका निर्वाचन जिला पंचायत सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा ऐसी प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा। जिसकी नियमों द्वारा व्यवस्था की जायेगी तथा उन नियमों में अध्यक्ष के निर्वाचन से सम्बद्ध तथा विवादों के निवारण की व्यवस्था से होगी।

जिला पंचायत का कार्यकालः जिला पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया। जिला पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल यदि इस अधिनियम के उपवन्ध के अधीन समाप्त न की जाये तो जिला पंचायत के कार्यकाल के अवसान तक बना रहेगा। जिला पंचायत का कार्यकाल पूरा होने पर पुनः निर्वाचन 6 माह के अन्दर होना चाहिए।

अध्यक्ष का कार्यकाल : जिला पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष तथा इसके पहले अध्यक्ष त्यागपत्र देकर अपने पद से अलग हो सकता है। जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य भी अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उन्हें कार्यकाल के पूर्व पद से पच्युत कर सकते हैं।

जिला पंचायत में नई व्यवस्थाः जिला पंचायत के लिए कुछ नयी व्यवस्था निर्धारित की गयी है। प्रथम चरण में मुख्य अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, चिकित्सा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहायक पंजीयक सहकारिता, जिला पशुधन, कृषि भूमि संरक्षण, उद्यान गन्ना विकास, दुग्ध विकास एवं पंचायत राज अधिकारियों को जिला पंचायतों के नियंत्रण में रखने की व्यवस्था है। जिला वन अधिकारी जिलापूर्ति अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी सिंचाई तथा विद्युत विभागों को जिला पंचायत सलाहकार अधिकारी बनाया गया है।

जिला पंचायत की समितियाँ : जिला पंचायत के कार्य को सही ढंग से संचालित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया है। वे समितियाँ निम्न प्रकार की है नियोजित समिति, सार्वजनिक निर्माण समिति इत्यादि। इन समिति का सभापति जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। जिला पंचायत के मुख्य अधिकारी समिति का सचिव तथा जिला स्तर के संबंधित अधिकारी इसके सदस्य होगें। यदि पंचायत के सदस्यों की संख्या 40 है तो 3 सदस्य और 40 से अधिक है तो 6 सदस्य चुने जायेगे जिला पंचायत के नियोजन, कार्यकारी समिति, निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य एक कल्याण, वित्त आयोग, जल प्रबन्धन नाम की 6 समितियों के गठन की व्यवस्था की गयी है।

जिला पंचायत के कर्तव्य एवं उनके अधिकारः

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 33 की अनुसूची (2) भाग (क) के अनुसार जिला पंचायत के निम्नलिखित कर्त्तव्यों और अधिकारियों को सम्पादित करती है।

1. बंजर भूमि का विकास करना तथा सामाजिक और कृषि वानिकी तथा रेशम उत्पादन के विकास में योगदान देना।
2. लघु वन उत्पादों की उन्नति तथा उनका विकास।
3. कृषि गोदामों की स्थापना एवं कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपायों में योगदान देना तथा उनके रख–रखाव की व्यवस्था।
4. मछली पालन के विकास में योगदान के साथ ही मछुआरों के विकास के कल्याण कार्यक्रमों को लागू करना।
5. बंजर भूमि का विकास करना तथा रेशम उत्पादन के विकास में योगदान।
6.. जनपद स्तर पर पंचायत उद्योगों की स्थापना करना तथा ग्रामीण और कुटीर उद्योगों का विकास।

7. ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का विकास तथा उन्नति में सहयोग तथा अनावासीय क्षेत्र में आवास कार्यक्रमों को लागू करना। और ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास केन्द्रों व विश्रामगृहों का निर्माण करना।
8. जनता के उपयोग में आने वाले जल को प्रदूषित होने से बचाना तथा जनता के लिए पेयजल की व्यवस्था करने में क्षेत्र पंचायतों को सहायता देना।
9. जिले में पुलों, नौकाघाट, जलमार्ग, सड़कों तथा नदी के किनारों का विकास तथा सड़कों पर दिशा चिन्ह अंकित करने के कार्य में सहयोग देना। सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण को हटाना।
10. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए योजना बनाना, तथा संबंधित अन्य विभागों में सामंजस्य स्थापित करते हुए इस कार्यक्रम को लागू करवाना।
11. ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत के वितरण में सहयोग देना तथा विद्युतीकरण के कार्य में क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के कार्य में सहयोग देना।
12. जिलों में सभी को शिक्षा प्रदान कराने के उद्देश्य से प्राइमरी, जूनियर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण, उनका रख–रखाव करने की व्यवस्था।
13. व्यवसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए योजना तैयार करना।
14. अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों का विकास तथा इन कार्यक्रमों को लागू करने में सहयोग करना।
15. जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत पर पुस्तकालयों, वाचनालयों का निर्माण करना।
16. बाल स्वास्थ्य और प्रसूति तथा पोषण कार्यक्रम का विकास।
17. अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण तथा विकास कार्यक्रमों को लागू करना।
18. परिवार कल्याण कार्यक्रमों के विकास के लिए योजना तैयार करना तथा लागू करने में सहायता करना।
19. जन चिकित्सालयों, औषद्यालयों तथा उपचार गृहों की स्थापना तथा महामारी के निवारण में क्षेत्र पंचायतों को सहायता।
20. जिला योजना की रूपरेखा तैयार करना, क्षेत्र पंचायतों द्वारा निर्मित योजनाओं का पुनर्विलोकन।

क्षेत्र पंचायत की स्थापना एवं गठन :

क्षेत्र पंचायत की स्थापना उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम 1994 के आधार पर की गई है। प्रत्येक विकास खण्ड में एक क्षेत्र पंचायत का गठन किया गया है जिसके सदस्य निम्न होंगे–

1. ग्राम पंचायतः क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के सभी सदस्य।
2. निर्वाचित सदस्यः क्षेत्र पंचायत के सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप में गुप्त मतदान के द्वारा चुने जाते हैं। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या 2 हजार हो अर्थात् 2 हजार की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जायेगा।
3. राज्य विधानसभा, लोकसभा के सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र का कोई भाग उस क्षेत्र में स्थित हो।

क्षेत्र पंचायत की प्रमुख योग्यताएँ :

1. भारत का नागरिक हो।
2. वह 21 वर्ष की आयु का हो चुका हो।
3. उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत निर्वाचन नामावली में उसका नाम रजिस्टर हो।
4. उस पर ग्राम पंचायत का कोई बकाया न हो तथा उसे कोई अपराध के लिए दोष, अन्धा, गूंगा, निर्वाचन अपराध सिद्धदोष नहीं होना चाहिए। छः माह से अधिक का कारावास दण्ड प्राप्त व्यक्ति, सरकारी पद से बर्खास्त कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल:

क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है इसके पूर्व प्रमुख त्याग पद देकर अपने पद से पृथक

हो सकता है। निर्वाचित सदस्य भी अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उन्हें कार्यकाल से पूर्व ही पद से मुक्त कर सकते हैं।

क्षेत्र पंचायत के प्रमुख कर्तव्यः

क्षेत्र पंचायत का मुख्य कर्तव्य क्षेत्र पंचायत की बैठक को बुलाना, सदस्यों में अनुशासन बनाए रखना उनकी अध्यक्षता करना, सभा की कार्यवाहियों का संचालन करना। खण्ड विकास अधिकारी के कार्यों की समय–समय पर जाँच करते रहना तथा क्षेत्र विकास की योजनाओं को लागू करना।

क्षेत्र पंचायत के अधिकार और कर्तव्य

क्षेत्र पंचायत अपने कार्य को अनेक समितियों के द्वारा सम्पन्न करती है। इसमें कार्यकारिणी, शिक्षा समिति, समा समिति और विकास समिति के अतिरिक्त अन्य समितियों का गठन किया जाता है। धारा 32 अनुसूची (1) के अनुसार क्षेत्र पंचायत निम्नलिखित कार्यों को सम्पादित करती है।

कृषि विकास संबंधी कार्यः क्षेत्र पंचायत वागवानी तथा कृषि के विकास में सहयोग करती है। जैसे फूलों की खेती, फलों, सब्जियों, खेती को प्रोत्साहन देना सिचाई की व्यवस्था करना, कृषि विकास की योजना बनाना, उन्हें लागू करना, बीज गोदामों की स्थापना करना, फसलों में लगे कीटाणुओं को नष्ट करने वाले दवा का प्रबंध इत्यादि।

लघु तथा कुटीर उद्योग का विकासः क्षेत्र पंचायत लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास में सहयोग प्रदान करती हैं. तथा कृषि उद्योग के विकास की सूचना देना, उनको विकसित करना गांव में उद्योगों का विकास करना इत्यादि।

सामाजिक और फार्म वानिकीः क्षेत्र पंचायत सामाजिकी वानिकी और देश में लकड़ी तथा फलों के उत्पादन में सहयोग करना तथा सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारो पर वृक्ष लगवाना इत्यादि।

मेलों तथा बाजार की व्यवस्थाः क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत बाजारों तथा मेलों की व्यवस्था करती है।

शिक्षा के प्रसाद का कार्यः क्षेत्र पंचायत ग्राम में प्रारम्भिक व समाजिक शिक्षा की प्रगति करना, प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा का विकास करना तथा व्यवसायिक शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण में सहयोग देना, अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना, खेलकुद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रोन्नति करना इत्यादि।

पशुपालनः क्षेत्र पंचायत का प्रमुख कार्य पशुओं की नस्ल को सुधारना, पशुओं की सेवा में वृद्धि करना तथा मछली पालन को प्रोत्साहन देना।

पेयजल, चारे तथा ईंधन की व्यवस्था करना : क्षेत्र पंचायत का प्रमुख कार्य गन्दा पानी पीने से लोगों को बचाना तथा जैसे ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना और सड़क के किनारे वृक्षों को लगवाना चारे से संबंधित कार्यक्रमों को सहायता देना।

ग्रामीण आवास की व्यवस्था करनाः क्षेत्र पंचायत का प्रमुख कार्य ग्रामीण लोगों को आवास कार्यक्रमों में सहायता देना।

चिकित्सा तथा परिवार कल्याण के कार्यः ग्राम में पंचायत का प्रमुख कार्य औषधालयों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करना। इसके अलावा ग्रामीण स्वतच्छता और स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा महामारियों पर नियंत्रण महिलाओं तथा बाल स्वास्थ्य, प्रसूति और विकास का कार्य करना तथा पोषण कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना।

क्षेत्र पंचायत का प्रमुख अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी (बी0डी0ओ0) होता है। वह अपने अधीन कर्मचारियों के कार्य की निगरानी करता है। वह क्षेत्र पंचायत के निर्णयों को कार्यान्वित करता है। खण्ड विकास अधिकारी के अतिरिक्त, उपखण्ड विकास अधिकारी तथा उसके अधीन सहायक विकास अधिकारी, सिंचाई, कृषि, सहकारिता, पंचायत अन्य अधिकारी होते हैं जो अपने विभागों का कार्य करते हैं।

शिक्षा से आया सामाजिक बदलाव :

शिक्षित मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव ज्यादा विवेकपूर्ण ढंग से कर सकने में सक्षम होते है इस लिहाज से शिक्षा के प्रसार से देश में लोकतंत्र को मजबूती मिलती है पंचायतीराज कानून ने ग्रामीणों को अपने फैसले खुद करने का अवसर मुहैया कराया है। ग्रामीणों और खासकर तौर पर ग्रामीण में शिक्षा के विकास में पंचायतीराज संस्था को बल मिला है। इसी ग्रामीण पंचायते अपने आर्थिक एवं अन्य सामुदायिक फैसले ज्यादा विवेकपूर्ण ढंग से

करने में सक्षम बनी है डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने कहा था ''शिक्षा सबकी पहुंच के होनी चाहिए इसे हर मुमकिन तरीके से और यथा सम्भव रास्ता बनाना चाहिए'' बाबा साहब का अटूट विश्वास था कि शिक्षा ही मनुष्य समाज के जीवन में बदलाव ला सकती है। अतः भारत वर्ष में पंचायतीराज व्यवस्था के व्यवहारिक स्वरूप ने एक लम्बा समय तय किया प्राचीन इतिहास के अवलोकन देखने को मिलता था बौद्ध काल में ग्राम परिषदें थी इन परिषदो का कार्य ग्राम भूमि कर लगान की व्यवस्था शान्ति एवं सुरक्षा स्थापित करना था तथा चन्द्रगुप्त मौर्य के काल ग्र. ामीण लोग पंचायतों में रूचि लिया करते थे। चाणक्य ग्राम को प्रथम राजनीति इकाई के रूप में स्वीकार करते थे। सन् 1947 में भारत के आजाद होने के बाद पंचायतीराज तथा ग्रामीण विकास की दिशा में उल्लेखनीय कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए स्वतंन्त्र भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वो से सम्बधित अध्याय के अनुच्छेद 40 में उल्लेख है कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठायेगा और उन्हे ऐसी शक्ति अधि िाकार प्रदान करेगा जो उन्हे स्वायत्त शासन की ईकाई के रूप में सक्षम बनाने में आवश्यक हो व्यवहारिक रूप में पंचायती शब्द का अस्तित्व आजाद भारत में भी बलवंत राय मेहता के लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के प्रतिवेदन से उदय हुआ और जो अन्वरत अपने अस्तित्व को बनाए हुए है इस प्रकार पंचायतीराज व्यवस्था का सकारात्मक परिण ााम धीरे–धीरे देखने को मिला है।

सशक्त पंचायत की ओर :

सरकार की ओर से निरन्तर प्रयास किया जा रहा है कि महिला अधिक से अधिक सशक्त और स्वालम्बी बने इसके तहत जहा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है वही राजनीतिक रूप से उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। पहला प्रयास पंचायतीराज अधिनियम में किए गए परिवर्तन के जरिए किया गया। महिलाएं जहां पंच, सरपंच सहित त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था में हर स्तर कुशल नेतृत्वकर्त्ता के रूप में सामने आयी है वही ग्रामीण विकास को नया आयाम मिला है संस्कार ने पहले त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया अब संसद में भी आरक्षण के जरिए उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना मौलिक अधिकारों राज्यों के लिए नीति निर्देशक सिद्धान्तों में भी प्रतिष्ठित किया गया है। संविधान न केवल महिलाओं के लिए समानता की गारंटी प्रदान करता है बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कदम उठाने का हक भी प्रदान करता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974–78) के समय से ही भारत महिलाओं के सशक्तिकरण को समाज में उनकी स्थिति निर्धारित करने के लिए महिला कल्याण के मुद्दे पर अपने दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा बदलाव लाई है। महिलाओं के अधिकारो और कानूनी हकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सन् 1990 में संसद में अधिनियम पारित किया गया और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गयी। वर्ष 1961 में महाराष्ट्र में जिला परिषद एवं पंचायत एक्ट लागू हुआ लेकिन सिर्फ दो महिलाओं ने ही नामांकन दाखिल किया उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा वर्ष 1973 में पश्चिम बंगाल में पंचायती राज एक्ट लागू करने के बाद पूरे राज्य में सिर्फ दो महिलाए चुनी गई। 1983 में तत्कालीन कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया, महिलाओं को 25 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा लम्बे संघर्ष के बाद 1987 में यह एक्ट लागू हो गया। इसी एक्ट के तहत 1987 में चुनाव कराए गए पहली बार महिलाओं ने राजनीतिक रूप से सशक्तता दिखाई। इस चुनाव में 30 हजार से अधिक महिलाओं ने नामाकंन भरा, जिससे 14 हजार महिला चुनी गई। वर्ष 1991 में उड़ीसा सरकार ने एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी। वर्ष 1992 में यहा चुनाव हुआ लगभग 22 हजार महिला जनप्रतिनिधि वनी। पंचायतों और नगर निगमों में महिलाओं के लिए सीटे आरक्षित करने के लिए सन् 1993 में संविधान का 73वां व 74वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान के 74वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतीराज एक स्थानीय निकाल में महिलाओं का चुना जाना तय हो गयां पहली बार एक साथ लगभग 10 लाख से अधि ाक महिला जनप्रतिनिधि चुनी गई। इसके बाद इस बात की जरूरत समझी गई कि आधी आबादी को बराबरी का दर्जा देने के लिए 50 प्रतिशत की व्यवस्था की जाए इसी सोच के साथ 2006 में बिहार में सर्वप्रथम शुरू हुआ महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का सिलसिला विभिन्न राज्यों तक पहुंचा। त्रिस्तरीय पंचायतराज में महिलाए 50 प्रतिशत को आरक्षित सीट पर चुन कर तो आ रही है कुछ सामान्य सीट पर भी चुनाव जीतकर सावित कर रही है कि वे किसी से पीछे नहीं है इस संवैधानिक संशोधन के साथ निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या में और अधिक वृद्धि होगी। महिलाओं के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंचायतों के तीन स्तरों

पर कम से कम एक तिहाई पद उनके लिए आरक्षित कर दिये गये जो कि एक ऐतिहासिक निर्णय है। इस प्रकार देश में पहली बार महिलाओं को पंचायतों के तीनों स्तरों पर कम से कम एक तिहाई सदस्यों और अध्यक्षों के पद पर आसीन होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है।

समाज में महिला प्रधान की बदलती तस्वीर :

मिशन शक्ति के तहत प्रदेश की महिलाओं को सशक्त, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने में जुटी योगी सरकार गांवों के समग्र विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। मिशन शक्ति के तहत पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (पीआरआईटी) द्वारा वर्तमान में 25 जिलों में लगभग 3693 महिला प्रधानों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वहीं विभिन्न चरणों में प्रदेश की 26 हजार से अधिक महिला ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य गांव को विकास से जोड़ने के साथ प्रदेश को बन ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य में उनकी अहम भूमिका निभाना है। इसके माध्यम से महिला ग्राम प्रधानों को न सिर्फ गांव की सूरत बदलने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, बल्कि उनके अधिकारों के प्रति भी उन्हें जागरूक किया जा रहा है।

मिशन शक्ति के तहत महिला ग्राम प्रधानों को बताये जा रहे उनके अधिकार पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान की ओर से प्रशिक्षण के जरिये महिला ग्राम प्रधानों को उनकी जिम्मेदारी का अहसास कराया जा रहा है ताकि वह घरेलू परिवेश तक सीमित न रहकर गांव की सूरत बदलने में अपनी भूमिका निभा सके। प्रशिक्षण में महिला प्रधानों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों के प्रति जागरूकता और पुरुषों की जगह स्वयं काम संभालने की प्रक्रिया के वारे में बताया जा रहा है। इसके साथ ही प्रशिक्षण में महिला जनप्रतिनिधियों की प्रशासनिक जिम्मेदारियों, ग्राम सचिवालय की व्यवस्था, सचिवालय से जन सुविधा केन्द्र के संचालन की जानकारी दी जा रही है ताकि वह समझ सकें कि किस तरह से गांव के समग्र विकास का खाका तैयार करना है और फिर उसे कार्यरूप देने के लिए अधिकारियों के सामने किस तरह से पेश करना है। इसके साथ ही साथ सतत् विकास लक्ष्यों को उनके स्थानीयकरण द्वारा ग्राम पंचायत के सहयोग से प्राप्त करना, स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता संबंधी सेवाओं की लगातार निगरानी को प्राथमिकता देने के लिए नेतृत्व कौशल के संबंध में भी जानकारी प्रदान की जा रही है।

महिलाएं गांव के समग्र विकास और बुनियादी सुविधाओं को लेकर होती हैं ज्यादा सजग अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था काठे मजबूत करने एवं महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए मिशन शक्ति के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रायः यह देखा गया है कि महिलाएं गांव के समग्र विकास, बुनियादी सुविधाओं और परिवार की सेहत को लेकर ज्यादा सजग रहती हैं। इसी सोच के साथ महिला ग्राम प्रधानों को इतना सशक्त बनाया जा रहा है ताकि वह पूरे गांव की सेहत, सुरक्षा और विकास का जिम्मा बखूबी निभा सकें।

इसी उद्देश्य से पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने सेन्टर फॉर कैटेलाइजिंग चेन्ज (सी–3) के साथ हाथ मिलाया है ताकि पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा बुनियादी सेवाओं सहित स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता संबंधी सेवाओं की लगातार निगरानी को प्राथमिकता मिल सके। इसके लिए महिला ग्राम प्रधानों को नेतृत्व क्षमता, संचार कौशल एवं लैंगिक समानता विषय पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी क्रम में दोनों संस्थाओं ने मिशन शक्ति के तहत दो दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है। इस मॉड्यूल के मुताविक प्रत्येक जिले में मास्टर ट्रेनर द्वारा महिला ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

भारत में महिला सशक्तिकरण नीति लक्ष्य एवं उद्देश्य:

इस नीति का उद्देश्य महिलाओं की उन्नति शक्ति सम्पन्नता तथा विकास है इस नीति का पूर्ण रूप से प्रचार किया जायेगा, ताकि इसके लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस वर्गों से संबंधित लोगों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके इस नीति के लक्ष्यों में शामिल है।

- आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सिविल सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ समान आधार में महिलाओं द्वारा सभी मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं का उपभोग।
- महिलाओं की पूर्ण क्षमता की प्राप्ति के लिए महिलाओं के सम्पूर्ण विकास हेतु सामाजिक तथा सकारात्मक आर्थिक नीतियों के माध्यम से वातावरण का सृजन।

- राष्ट्र के आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी तथा निर्णय–स्तर तक समान पहुँच।
- सभी स्तरों पर जीविका तथा व्यवसायिक मार्गदर्शन स्वास्थ्य के लिए देखभाल शिक्षा, समान पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक पदों इत्यादि में महिलाओं की समान पहुँच।
- सभी प्रकार के महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के उन्मूलन के उद्देश्य से कानूनी प्रणालियों का सुद्धि करण।
- विकास की प्रक्रिया में महिलाओं को शामिल करना।
- बालिकाओं तथा महिलाओं के साथ होने वाली सभी प्रकार की हिंसा तथा भेदभावों को समाप्त करना।
- महिलाओं तथा पुरुषों दोनों की सक्रिय भागीदारी द्वारा सामाजिक व्यवहारों और प्रथाओं में परिवर्तन।
- सविल समाज, विशेषकर महिला संगठनों के साथ भागदारी बनाना।

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण:

सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण तथा उनकी उन्नति और लैंगिग समानता वाले समाज की नीव के लिए महत्वपूर्ण है। यह समानता शान्ति, विकास के लक्ष्यों के लिए केन्द्रित है। आधी शताब्दी से अधिक पुराना भारतीय लोकतंत्र अगली शताब्दी में प्रवेश कर चुका है। लेकिन महिलाओं के एक बड़े समूह को अभी भी राजनीतिक क्षेत्र से बाहर रखा गया है। निर्णय लेने के विभिन्न स्तरो पर पुरुष और महिलाओं को समान भागीदारी के बिना कोई सच्चा लोकतंत्र नहीं हो सकता है या विकास में लोगों की सही भागीदारी नहीं हो सकती है। राजनीतिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी महिलाओं की उन्नति का अभिन्न अंग है। हमारे समाज में कही में पुरुषों और महिलाओं दोनों को विशिष्ट भूमिकाए और कर्तव्य सौंपे जाते है। अधिकांश विकासशील देशों में महिलाओं को मात्र प्रजनन भूमिका को मान्यता दी जाती है ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं के लिए जीवन के सार्वजनिक क्षेत्र में भाग लेना संभव नहीं है। इसलिए सांस्कृतिक कारक भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बाधित करते हैं। संस्थागत कारक भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करते हैं। प्रति जिले अधिक सीटो वाली चुनाव प्रणाली और सीटो के आवंटन के लिए आनुपातिक सूत्र महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा सकते है। महिलाए भारत में शासन बदल रही है, पीआरआई जिन महिलाओं को राजनीति में लाई वे महिलाए अब शासन कर रही है चाहे वह एक गाँव में हो या एक बड़े क्षेत्र जैसे कि 100 गाँव या एक जिले में। पीआरआई द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में लाई गई महिलाओं की भारी संख्या में अंतर पैदा किया है।

अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को देश की सरकार में सीधे या स्वतंत्र से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने का अधिकार है। राजनीतिक मामलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उनके जरूरतो और विचारों को निश्चित करेगा जो उनके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करता है। राजनीतिक सशक्तिकरण को राजनीतिक व्यवस्था में एकीकृत करने निर्णय लेने योजना तथा मूल्यांकन को प्रभावित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राजनीतिक सशक्तिकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से महिलाए पुरुषों के बराबर उचित पहचान बनाती है जिसके द्वारा महिलाए मानवीय गरिमा के साथ भागीदार के रूप में राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से समाज की विकास प्रक्रिया भी भाग लेना। राजनीतिक सशक्तिकरण नीतियों के निर्माण तथा उन्हे राजनीतिक व्यवस्था में एकीकृत करके निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने में महिलाओं के लिए एक विशिष्ट भूमिका निभाता है। स्वतंत्रता के बाद से भारतीय महिलाओं का संस्थागत राजनीति में बहुत कम भागीदारी रहा है। पिछले दो दशको में राजनीतिक संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में अधिक चिंता थी जिससे सशक्तीकरण हुआ नेतृत्व न हमारे शासन के लिए आवश्यक है बल्कि शासन की प्रकृति को बदलने के लिए भी महत्वपूर्ण है पिछले दो दशकों में राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में अधिक चिंता थी जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ सकारात्मक कारवाई को राजनीतिक सशक्तिकरण के साधन के रूप में स्वीकार किया गया।

महिला और पंचायती राज व्यवस्था:

राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं का सक्रिय भागीदारी से महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण शुरू होता है लोकतंत्र में पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की प्रारंभिक भागीदारी को उचित महत्व दिया जाता है। किसी भी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब वहा की महिलाएं विकसित हो महात्मा गाँधी ने कहा था कि अगर घर के किसी कोने में गड़ा खजाना अचानक मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। महिला सशक्ति सुस्त पड़ी है अगर भारत कि महिलाए जाग जाए तो वे इसी प्रकार विश्व को चकाचौंध कर देगी। इसी क्रम में डॉ० भीम राव अम्बेडकर ने कहा था कि समाज में स्त्री का बड़ा महत्व है जिस घर परिवार में स्त्री शिक्षित प्रशिक्षित हो उनके बच्चे सदा ही उन्नति के पथ पर अग्रसर रहते है। वह सुंदर परिवार की निर्मात्री है जब तक हमारे आन्दोलनों में महिलाए भी भरपूर हिस्सा नहीं लेगी तब तक हमारा आन्दोलन कभी सफल नहीं हो सकता ग्राम विकास में महिला नेतृत्व एवं सशक्तिकरण महिलाओं को पुरुषों के बराबर राजनैतिक, मानसिक, वैधानिक, सामाजिक आर्थिक क्षेत्रो में अनेक परिवार समुदाय समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वतंत्रता से है। महिलाओं में इस प्रकार की क्षमता का विकास जिसमें वे अपने जीवन का निर्वाह इच्छानुसार कर सकने में सक्षम हो एवं उनके अंदर आत्मविश्वास और स्वाभिमान को जागृत करना है।

निष्कर्ष

पंचायतीराज में महिला सहभागिता का क्षेत्रीय नेतृत्व उस क्षेत्र में स्त्रियों की दशा का दर्पण है। उस क्षेत्र का सामाजिक पारिवारिक परिवेश तथा परिस्थितियों से महिला नेतृत्व की स्थिति स्पष्ट होती है, महिलाओं में साक्षरता का दर बढ़ रही है। गावों में बालिका शिक्षा का चलन हो रहा है। महिलाएं अब अल्प एवं छोटे परिवार की आदि हो रही है घूंघट उनकी परम्परा है अब इससे भी महिलाए उबर रही है। ग्रामीण नेतृत्व की श्रेणी में 30–45 वर्ष की महिलाएं ज्यादातर निर्वाचित होकर काम कर रही है। अब वे अपनी शैक्षणिक स्थिति बढाने की दिशा में सोच रही है। महिलाओं में राजनीतिक जागृति और प्रशासनिक क्षमताओं का विकास होने लगा है। पंचायतीराज के माध्यम से महिलाओं की नेतृत्व की क्षमताएं सामने आई है। विभिन्न सामाजिक योजनाओं की प्रगति से गावों के आर्थिक सामाजिक जीवन में काफी बदलाव हुआ है। पंचायतों के जरिए विभिन्न सामाजिक योजनाएं सीधे–सीधे गांव और ग्रामीणों तक जुड़ पा रही है। अव सरकार की कोशिश है कि इन संस्थाओं को और अधिकार दिए जाए ताकि यह न केवल वित्तीय रूप से मजबूत हो बल्कि बेहतर कामकाज के लिए प्रोत्साहित भी हो ताकि देश के आर्थिक विकास में गाव में ज्यादा से ज्यादा योगदान कर सके।

यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परम्परा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए, 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें एसडीजी शामिल हैं, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेस सहित, सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। यह नीति इस सिद्धान्त पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता ओर संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ–साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान सम्बन्धी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

संदर्भ सूची

1. मोदी अनिता, पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण
2. कुरूक्षेत्र (2016), ग्रामीण महिला सशक्तिकरण।
3. शर्मा जी०एल० (2015), सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन, पृ०सं0 420
4. अग्रवाल, डॉ० अमित (2015), भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र, नवीनतम संशोधित संस्करण।
5. महिपाल (1996) पंचायती राज, सारांश प्रकाशन, प्रा०लि०, दिल्ली, पृ०सं० 45–45
6. पं० नेहरू (1965), सामुदायिक विकास और पंचायती राज साहित्य मण्डल।
7. कुमावत सुदीप (2008), ''महिला विकास और महिला रोजगार'', कुरूक्षेत्र, मार्च 2008, पृ०सं0 20–21
8 गांधी एम0के0 (1949) पंचायती राज अहमदाबाद नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद, पृ०सं० 10
9. ऋग्वेद, 1/114/1 तथा 5/54/8 ''मण्डप सूत्र मंच वैदिक शोध संस्थान, होशियारपुर
10. कौटिल्य (1959), अर्थशास्त्र, राज्यपाल एवं सन्स दिल्ली, पृ०सं0 91
11. केलकर, कुमुदनी (2001), पंचायतीराज और महिला नेतृत्व, कुरूक्षेत्र वर्ष 47 (6), नई दिल्ली, 2001, पृ०सं0 31
12. महीपाल पंचायती राज (1996), सारांश प्रकाशन, प्रा०लि०, दिल्ली, पृ० 38–43
13. सिंह सीमा (2010), पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण, विद्या विहार प्रकाशन, नई दिल्ली
14. एल0एम0 (1986) सिधवी आयोग रिपोर्ट, भारत सरकार, प्रतिवेदन, नई दिल्ली
15. पी0के0 (2016) थुगन समिति रिपोर्ट, भारत सरकार प्रतिवेदन, नई दिल्ली, 1986
16. 64वाँ संवैधानिक संशोधन, 1989
17. भारत का संविधान 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा प्रतिस्थापित अनुच्छेद 243

Cite this Article-

'प्रमोद सिंह, प्रो0 उदयवीर सिंह', 'उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप: महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ में', Shodhpith International Multidisciplinary Research Journal, ISSN: 3049-3331 (Online), Volume: 1, Issue: 04, July-August 2025.

Journal URL- https://www.shodhpith.com/index.html

Published Date- 14 July 2025

DOI-10.64127/Shodhpith.2025v1i40016